हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि अधिनियम, 2015

धाराओं का क्रम

धाराः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

2. परिभाषाएं।

3. अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि।

4. कल्याण निधि समिति का गठन।

5. समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की निरर्हता और उनका हटाया जाना।

6. समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों द्वारा त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

7. त्रुटि, रिक्ति आदि द्वारा समिति के कार्य का अविधिमान्य न होना।

8. निधि का निहित होना और उपयोजन।

9. समिति के कृत्य।

10. उधार लेना और निधि का विनिधान।

11. सचिव की शक्तियों और कृत्य।

12. हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि टिकट।

13. अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण।

14. अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम के कर्त्तव्य।

15. निधि की सदस्यता।

16. नियोजन की समाप्ति पर निधि से संदाय।

17. निधि में सदस्यों के हित के अन्यसंक्रामण, कुर्की आदि पर निर्बन्धन।

18. सदस्यों के लिए सामूहिक जीवन बीमा और अन्य प्रसुविधाएं।

19. समिति की बैठकें।

20. समिति के सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ता।

21. पुनर्विलोकन।

22. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

23. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन।

24. साक्षियों को समन करने और साक्ष्य लेने की शक्ति।

25. नियम बनाने की शक्ति।

अनुसूची।

हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लकों की कल्याण निधि अधिनियम, 2015

(2015 का अधिनियम संख्यांक 28)[1]

(राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 17 अक्तूबर, 2015 को यथाअनुमोदित किया गया और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 20 अक्तूबर, 2015 को पृष्ठ संख्या 4804 से 4826 पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया)

हिमाचल प्रदेश राज्य में अधिवक्ताओं के क्लर्कों की अभिवृद्धि के लिए कल्याण निधि का गठन करने और उसका उपयोग करने तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि अधिनियम, 2015 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं.–इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिवक्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसका नाम अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् द्वारा तैयार की गई और अनुरक्षित अधिवक्ताओं की राज्य नामावली में दर्ज किया गया है और जो किसी विधिज्ञ संगम या अधिवक्ता संगम का सदस्य है;

(ख) "अधिवक्ता का क्लर्क" से किसी अधिवक्ता द्वारा नियोजित और ऐसे प्राधिकरण द्वारा, ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, मान्यता प्राप्त क्लर्क अभिप्रेत है और जो अधिवक्ताओं के क्लर्कों के किसी संगम का सदस्य है;

(ग) "अधिवक्ताओं के क्लर्कों का संगम" से धारा 13 के अधीन मान्यता प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ताओं के क्लर्कों का संगम अभिप्रेत है;

(घ) "विधिज्ञ संगम" से हिमाचल प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1996 की धारा 14 के अधीन विधिज्ञ परिषद् से मान्यता प्राप्त और रजिस्ट्रीकृत अधिवक्ताओं का संगम अभिप्रेत है;

———————————

1. हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा हिन्दी में पास किया गया। उद्देश्यों और कारणों के कथन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 29 अगस्त, 2015 पृष्ठ संख्या 3380, 3390 और 3391 देखें।

(ङ) "विधिज्ञ परिषद्" से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् अभिप्रेत है;

(च) "नियोजन की समाप्ति" से समिति द्वारा अनुरक्षित राज्य नामावली से किसी अधिवक्ता के क्लर्क के नाम का, उसकी सेवानिवृत्ति के कारण, हटाया जाना अभिप्रेत है;

(छ) "समिति" से धारा 4 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि समिति अभिप्रेत है;

(ज) "आश्रित" से निधि के मृतक सदस्य का निम्नलिखित में से कोई सम्बन्धी अभिप्रेत है, अर्थातः–

(i) विधवा, अवयस्क धर्मज पुत्र, अविवाहित धर्मज पुत्री या विधवा माता; और

(ii) वयस्क धर्मज पुत्र या धर्मज विवाहित पुत्री जो अंग–शैथिल्य के फलस्वरुप सदस्य की कमाई पर, उसकी मृत्यु के समय, पूर्णतः आश्रित है;

(झ) "निधि" से धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि अभिप्रेत है;

(ञ) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ट) "निधि का सदस्य" से अधिवक्ता का ऐसा क्लर्क अभिप्रेत है, जिसे इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निधि की प्रसुविधा के लिए सम्मिलित किया गया है और जो उसका सदस्य बना रहता है;

(ठ) "अधिसूचना" से राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और शब्द "अधिसूचित" का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ड़) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ढ) "सेवानिवृत्ति" से विहित रीति में संसूचित और अभिलिखित किसी अन्य सेवा में कार्यग्रहण करने या अन्य लाभप्रद व्यवसाय को कार्यान्वित करने से भिन्न किसी कारण से अधिवक्ता के क्लर्क के रूप में नियोजन बन्द करना अभिप्रेत है;

(ण) "अनुसूची" से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(त) "टिकट (स्टाम्प)" से धारा 12 के अधीन मुद्रित और वितरित हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि टिकट अभिप्रेत है; और

(थ) "वकालतनामा" से वकालतनामा, हाजिरी ज्ञापन या कोई अन्य दस्तावेज अभिप्रेत है, जिसके द्वारा कोई अधिवक्ता या कोई अन्य स्थानीय प्रैक्टिशनर किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण के समक्ष हाजिर होने और अभिवाक करने के लिए सशक्त है।

3. अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि.—(1) सरकार अधिसूचना द्वारा, हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि के नाम से ज्ञात एक निधि का गठन करेगी।

(2) निधि में निम्नलिखित को जमा किया जाएगा,—

(क) धारा 12 के अधीन टिकटों के विक्रय द्वारा संगृहीत समस्त रकमें;

(ख) विधिज्ञ परिषद्, किसी विधिज्ञ संगम, किसी अन्य संगम या संस्था, किसी अधिवक्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा निधि में किया गया कोई स्वैच्छिक दान या अभिदाय;

(ग) धारा 10 के अधीन उधार ली गई कोई राशि;

(घ) सामूहिक बीमा पॉलिसी के अधीन निधि के सदस्य की मृत्यु पर भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य जीवन बीमा कम्पनी से प्राप्त समस्त राशियाँ;

(ङ) सामूहिक बीमा पॉलिसी के अधीन किसी सदस्य की मृत्यु पर भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य जीवन बीमा कम्पनी से प्राप्त कोई लाभ या लाभांश;

(च) निधि के किसी भाग के किसी भी विनिधान पर कोई ब्याज या लाभांश या अन्य प्रत्यागम; और

(छ) धारा 15 के अधीन संगृहीत समस्त राशियाँ।

4. कल्याण निधि समिति का गठन.—(1) सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि समिति के नाम से ज्ञात एक समिति का गठन करेगी।

(2) समिति एक निगमित निकाय होगी, जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा।

(3) समिति का गठन निम्नलिखित से होगा, अर्थातः—

(क) अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विधिज्ञ परिषद् — पदेन अध्यक्ष;

(ख) सचिव (विधि)
हिमाचल प्रदेश सरकार — पदेन सदस्य;

(ग) सचिव (गृह)
हिमाचल प्रदेश सरकार — पदेन सदस्य;

(घ) सचिव (वित्त)
हिमाचल प्रदेश सरकार — पदेन सदस्य;

(ङ) रजिस्ट्रार जनरल, हिमाचल प्रदेश
उच्च न्यायालय; — पदेन सदस्य;

(च) ऐसे प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, अधिवक्ताओं के क्लर्कों में से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन सदस्य जिसमें से एक को समिति द्वारा निधि के राज्य कोषाध्यक्ष के रुप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा; और

(छ) ऐसे विनियमों, जैसे समिति द्वारा सचिव की भर्ती और सेवा शर्तों की बाबत बनाए जाएं, के अनुसार अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाने वाला सचिवः

परन्तु इस प्रकार नियुक्त सचिव को समिति की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) यदि सचिव (विधि), सचिव (गृह) या सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार किसी कारण से समिति की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह अपने विभाग के किसी अधिकारी, जो उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(5) यदि रजिस्ट्रार जनरल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय किसी कारण से समिति की बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो वह किसी अधिकारी, जो उप रजिस्ट्रार की पंक्ति से नीचे का न हो, को बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकेगा।

(6) उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य, अपने ऐसे नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या जब तक वह अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम का सदस्य नहीं रहता है, जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा।

(7) सचिव को निधि में से ऐसा पारिश्रमिक संदत्त किया जाएगा, जैसा विहित किया जाए।

5. समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों की निरर्हता और उनका हटाया जाना.— (1) धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्य समिति का सदस्य बनने के लिए निरर्हित होगा और ऐसा सदस्य नहीं रहेगा, यदि वह—

(क) विकृत चित हो जाता है; या

(ख) न्यायनिर्णीत दिवालिया है; या

(ग) समिति की अनुमति के बिना समिति की लगातार तीन से अधिक बैठकों में अनुपस्थित रहता है।

परन्तु इस खण्ड के अधीन सदस्य के पद पर न रहने पर उसे समिति द्वारा प्रत्यावर्तित किया (वापिस लिया) जा सकेगा यदि ऐसा सदस्य अनुपस्थिति की माफी के लिए आवेदन करता है; या

(घ) निधि का व्यतिक्रमी है (यदि वह निधि का सदस्य है) या उसने न्यास भंग किया है; या

(ड.) नैतिक अधमता से अन्तर्वलित किसी अपराध के लिए किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया है, जब तक ऐसी दोषसिद्धि अपास्त न कर दी गई हो।

(2) अध्यक्ष किसी सदस्य को, जो उपधारा (1) के अधीन निरर्हित है या हो गया है, समिति की सदस्यता से हटा सकेगाः

परन्तु किसी सदस्य को हटाए जाने का कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक उसे सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

6. समिति के नामनिर्दिष्ट सदस्यों द्वारा त्यागपत्र और आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना.—(1) धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य अध्यक्ष को लिखित में तीन मास का नोटिस देकर अपना पद त्याग सकेगा और ऐसा त्यागपत्र स्वीकृत किए जाने पर यह समझा जाएगा कि उसने अपना पद छोड़ दिया है।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी सदस्य के पद में कोई आकस्मिक रिक्ति यथाशक्य शीघ्र भरी जाएगी और ऐसी रिक्ति के लिए इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्य अपने पूर्ववर्ती की अवधि के शेष भाग के लिए पद धारण करेगा।

7. त्रुटि, रिक्ति आदि द्वारा समिति के कार्य का अविधिमान्य न होना.—समिति द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कार्यवाही मात्र निम्नलिखित कारणों से अविधिमान्य नहीं होगी—

(क) समिति में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के नामनिर्देशन में कोई त्रुटि या कोई अनियमितताः या

(ग) ऐसे कार्य या कार्यवाही में कोई त्रुटि या अनियमितता जो मामले के गुणागुण को प्रभावित न करती हो।

8. निधि का निहित होना और उपयोजन.—इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन और इसके प्रयोजनों के लिए निधि समिति में निहित होगी और उस द्वारा धारित और उपयोजित की जाएगी।

9. समिति के कृत्य.—(1) निधि को प्रशासित करना समिति का कृत्य होगा।

(2) निधि के प्रशासन में समिति, अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अध्यधीन—

(क) निधि से सम्बन्धित रकमों और परिसम्पत्तियों को धारण करेगी;

(ख) निधि में प्रवेश या पुनः प्रवेश के लिए आवेदन प्राप्त करेगी और ऐसे आवेदनों का उनकी प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर निपटारा करेगी;

(ग) निधि में से संदाय करने के लिए, यथास्थिति, निधि के सदस्यों, उनके नामनिर्देशितियों या अन्य विधिक वारिसों से आवेदन प्राप्त करेगी;

(घ) ऐसे आवेदनों का निपटारा करने के लिए ऐसी जांच करेगी, जो वह आवश्यक समझे तथा आवेदनों का उनकी प्राप्ति की तारीख से पांच मास के भीतर निपटारा करेगी;

(ङ) आवेदनों पर अपना विनिश्चय समिति की कार्यवृत्त पुस्तिका में अभिलिखित करेगी;

(च) आवेदकों को अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर रकम संदत्त करेगी;

(छ) ऐसे लेखे और बहियां बनाए रखेगी और विधिज्ञ परिषद् को ऐसी कालिक और वार्षिक रिपोर्ट भेजेगी, जैसी विहित की जाएं;

(ज) निधि में प्रवेश या पुनः प्रवेश या निधि की प्रसुविधा के दावों के लिए आवेदनों की बाबत समिति के विनिश्चय डाक प्रमाणन के अधीन आवेदकों को सूचित करेगी; और

(झ) ऐसे अन्य कार्य करेगी जो इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किए जाने अपेक्षित हैं या किए जाएं।

10. उधार लेना और निधि का विनिधान.—(1) समिति, विधिज्ञ परिषद् के पूर्व अनुमोदन से समय–समय पर, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए अपेक्षित कोई राशि उधार ले सकेगी।

(2) समिति, निधि के भागरूप समस्त राशियां और प्राप्तियां भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के अधीन यथा परिभाषित किसी अनुसूचित बैंक में जमा करेगी या उनका केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम को ऋण देने में या किसी अन्य रीति में, जैसे विधिज्ञ परिषद् सरकार के पूर्व अनुमोदन से, समय–समय पर निदेश दे, विनिधान करेगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन शोध्य और संदेय सभी रकमें और निधि के प्रबन्धन और प्रशासन से सम्बन्धित सभी व्यय निधि में से संदत्त किए जाएंगे।

(4) समिति के लेखों की समिति द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउटैंट द्वारा वार्षिक संपरीक्षा की जाएगी।

(5) संपरीक्षक द्वारा यथा प्रमाणित लेखे उनकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ समिति द्वारा विधिज्ञ परिषद् को अग्रेषित किए जाएंगे और विधिज्ञ परिषद् उसकी बाबत समिति को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी, जैसे वह उचित समझे।

(6) समिति, उपधारा (5) के अधीन विधिज्ञ परिषद् द्वारा जारी निदेशों का पालन करेगी।

11. सचिव की शक्तियां और कृत्य.—समिति का सचिव–

(क) समिति का मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी होगा और इसके विनिश्चयों को कार्यान्वित करने के लिए दायी होगा;

(ख) समिति के लिए और उसके विरुद्ध सभी वादों और कार्यवाहियों में समिति का प्रतिनिधित्व करेगा;

(ग) समिति के सभी विनिश्चयों और अनुदेशों को अपने हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित करेगा;

(घ) समिति के बैंक खातों का कोषाध्यक्ष के साथ संयुक्ततः प्रचालन करेगा;

(ङ) समिति की बैठकें बुलाएगा और उनके कार्यवृत्त तैयार करेगा;

(च) समस्त आवश्यक अभिलेखों और सूचना सहित समिति की बैठकों में हाजिर होगा;

(छ) ऐसे प्ररूप, रजिस्टर और अन्य अभिलेख बनाए रखेगा, जैसे विहित किए जाएं और समिति से सम्बन्धित समस्त पत्र व्यवहार करेगा;

(ज) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान समिति द्वारा संव्यवहारित कारबार का वार्षिक विवरण तैयार करेगा; और

(झ) ऐसे अन्य कार्य करेगा जो समिति द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं।

12. हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि टिकट.—(1) विधिज्ञ परिषद् द्वारा, ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, प्रत्येक पांच रुपए मूल्य की "हिमाचल प्रदेश अधिवक्ताओं के क्लर्कों की कल्याण निधि" शब्दों से अन्तर्लिखित टिकट मुद्रित की जाएगी या करवाई जाएगी।

(2) किसी न्यायालय, प्राधिकरण या अधिकरण के समक्ष दायर किए जाने वाले प्रत्येक वकालतनामे या हाजिरी ज्ञापन के साथ न्यायालय फीस टिकटों, यदि कोई है. के अतिरिक्त उपधारा (1) में यथाविनिर्दिष्ट टिकट चिपकाई जाएगी और किसी अन्य अधिनियम के अधीन वकालतनामों या हाजिरी ज्ञापन से चिपकाई गई टिकट तब तक विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि इसके साथ ऐसी टिकट न चिपकाई गई हो:

परन्तु यह उपधारा केन्द्रीय या राज्य सरकार की ओर से दायर किए जाने वाले किसी वकालतनामे या हाजिरी ज्ञापन के लिए लागू नहीं होगी।

(3) ऐसी टिकट के साथ वकालतनामा प्राप्त करने वाला व्यक्ति या प्राधिकारी तत्काल उसे पंच करके टिकट को रद्द करेगा।

(4) इस धारा के अधीन मुद्रित टिकटें विधिज्ञ परिषद् की अभिरक्षा में रहेंगी और टिकटों का प्रदाय और विक्रय ऐसी रीति में किया जाएगा, जैसी विहित की जाए।

13. अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम की मान्यता और रजिस्ट्रीकरण.—(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् गठित अधिवक्ताओं के क्लर्कों का कोई संगम, ऐसे गठन की तारीख से दो मास के भीतर और इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व गठित अधिवक्ताओं के क्लर्कों का कोई संगम, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो मास के भीतर, समिति को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, इस अधिनियम के अधीन अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम के रूप में मान्यता प्राप्त करने और उसका रजिस्ट्रीकरण करने के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) मान्यता प्रदान करने और रजिस्ट्रीकरण करने के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ संगम के नियम या उपविधियां, संगम के पदाधिकारियों के नाम और पते तथा संगम के सदस्यों की, प्रत्येक सदस्य के नाम, पते, आयु और नियोजन के सामान्य स्थान दर्शित करती एक अद्यतन सूची, लगाई जाएगी।

(3) समिति, ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी यह आवश्यक समझे, संगम को अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम के रूप में मान्यता दे सकेगी और ऐसे प्ररूप में मान्यता का प्रमाण–पत्र जारी करेगी, जैसा विहित किया जाए।

(4) संगम की मान्यता से सम्बन्धित समिति का विनिश्चय अन्तिम होगा।

14. अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम के कर्तव्य.–(1) अधिवक्ताओं के क्लर्कों का प्रत्येक संगम, प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को या इससे पूर्व उस वर्ष के 31 मार्च को यथा विद्यमान अपने सदस्यों की एक सूची समिति को प्रस्तुत करेगा।

(2) अधिवक्ताओं के क्लर्कों का प्रत्येक संगम,–

(क) अधिवक्ताओं के क्लर्कों के संगम के पदाधिकारियों में किसी परिवर्तन की, ऐसे परिवर्तन के पन्द्रह दिन के भीतर;

(ख) प्रवेश और पुनः प्रवेश सहित सदस्यों की संख्या में परिवर्तन की, ऐसे परिवर्तन से तीस दिन के भीतर;

(ग) इसके किसी सदस्य की मृत्यु या सेवानिवृत्ति की, ऐसा होने की तारीख से तीस दिन के भीतर;

(घ) ऐसे अन्य मामलों की, जो समय–समय पर समिति द्वारा अपेक्षित हों, सूचना समिति को देगा।

15. निधि की सदस्यता.–(1) राज्य में अधिवक्ता का प्रत्येक क्लर्क, समिति को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जैसी विहित की जाए, निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर समिति ऐसी जांच करेगी जैसी वह उचित समझे और या तो आवेदक को निधि में प्रवेश देगी या कारणों को लिखित में अभिलिखित करके आवेदन नामंजूर करेगीः

परन्तु किसी आवेदन को रद्द करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(3) प्रत्येक आवेदक, आवेदन के साथ समिति के लेखे में एक सौ रुपए की आवेदन फीस का संदाय करेगा।

(4) प्रत्येक आवेदक प्रवेश या पुनः प्रवेश के समय एक सौ रुपए की प्रवेश फीस का निधि में संदाय करेगा।

(5) निधि को सदस्य के रूप में प्रविष्ट प्रत्येक व्यक्ति दो बराबर अर्धवार्षिक किश्तों में एक हजार पाँच सौ रुपए की सदस्यता फीस का संदाय करेगा।

(6) निधि का प्रत्येक सदस्य, अपनी मृत्यु हो जाने की दशा में निधि से रकम को प्राप्त करने का अधिकार अपने परिवार के एक या एक से अधिक आश्रितों को प्रदत्त करते हुए, प्रवेश के समय नामनिर्देशन करेगा। तथापि, यदि उसका कोई परिवार नहीं है तो वह किसी भी व्यक्ति, जिसे वह चाहे, को नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(7) यदि एक से अधिक व्यक्ति नामनिर्दिष्ट किए गए हैं तो प्रत्येक नामनिर्देशिती को संदेय भाग की रकम नामनिर्देशन में विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(8) निधि का कोई भी सदस्य किसी भी समय किसी नामनिर्देशन को, समिति को नए नामनिर्देशन सहित लिखित में नोटिस भेज करके, रद्द कर सकेगा।

(9) जहां किसी शिकायत की प्राप्ति पर या अन्यथा समिति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि अधिवक्ता के क्लर्क ने निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश दुर्व्यपदेशन, कपट या अनुचित प्रभाव से प्राप्त किया है तो समिति को अधिवक्ता के ऐसे क्लर्क के नाम को निधि की सदस्यता से हटाने की शक्ति होगीः

परन्तु ऐसा कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक प्रतिकूलतः संभाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

16. नियोजन की समाप्ति पर निधि से संदाय.—(1) निधि का सदस्य नियोजन की समाप्ति पर निधि में से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर, रकम प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) सदस्य की मृत्यु हो जाने की दशा में पचास हजार रुपए की समेकित रकम नामनिर्देशिती को या, जहां कोई नामनिर्देशिती नहीं है, उसके आश्रितों को संदत्त की जाएगी।

(3) निधि का कोई भी सदस्य निधि के सदस्य के रूप में उसके प्रवेश के पांच वर्ष के पश्चात् किसी भी समय अपनी सदस्यता प्रत्याहृत कर (वापिस ले) सकेगा और ऐसे प्रत्याहरण पर वह निधि में से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर पर, रकम प्राप्त करने का हकदार होगा तथा वह निधि में ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसी विहित की जाएं, नए सदस्य के रूप में पुनः प्रवेश के लिए भी पात्र हो सकेगाः

परन्तु स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त कोई सदस्य किसी भी समय अपनी सदस्यता प्रत्याहृत कर सकेगा।

(4) इस अधिनियम के अधीन संदाय के प्रयोजन के लिए नियोजन के संपूरित वर्षों की अवधि की संगणना के लिए किसी अधिवक्ता के अधीन नियोजन, यदि कोई है, के प्रत्येक चार वर्षों को निधि के सदस्य के रूप में प्रवेश से पूर्व, नियोजन का एक वर्ष संगणित किया जाएगा और ऐसे प्रवेश के पश्चात् नियोजन के वर्षों की संख्या में जोड़ा जाएगा।

(5) निधि से संदाय के लिए आवेदन समिति को ऐसे प्ररूप में किया जाएगा जैसा विहित किया जाए।

(6) उपधारा (5) के अधीन प्राप्त आवेदन का, समिति द्वारा ऐसी जांच के पश्चात् निपटारा किया जाएगा जैसी वह आवश्यक समझे।

17. निधि में सदस्यों के हित के अन्यसंक्रामण, कुर्की आदि पर निर्बन्धन.—(1) निधि के किसी सदस्य या उसके नामनिर्देशिती या विधिक वारिसों का निधि से किसी रकम को प्राप्त करने का हित या अधिकार समनुदेशित, अन्यसंक्रामित या भारित नहीं किया जाएगा और किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण की डिक्री या आदेश के अधीन कुर्की के लिए दायी नहीं होगा।

(2) कोई भी लेनदार निधि या निधि के किसी सदस्य या उसके नामनिर्देशिती या विधिक वारिसों के उसमें हित के विरुद्ध कार्यवाही करने का हकदार नहीं होगा।

स्पष्टीकरण.—इस धारा के प्रयोजन के लिए "लेनदार" के अन्तर्गत राज्य, या दिवालिया से सम्बन्धित तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन नियुक्त कोई शासकीय समनुदेशिती या शासकीय प्रापक है।

18. सदस्यों के लिए सामूहिक जीवन भीमा और अन्य प्रसुविधाएं.—समिति, निधि के सदस्यों के कल्याण के लिए,—

(क) निधि के सदस्यों के लिए जीवन की सामूहिक बीमा पॉलिसियां भारतीय जीवन बीमा निगम या किसी अन्य बीमा कम्पनी से ले सकेगी; और

(ख) निधि के सदस्यों और उनके आश्रितों के लिए चिकित्सा और शैक्षणिक सुविधाओं और ऐसी अन्य प्रसुविधाओं, जैसी विहित की जाएं, के लिए उपबन्ध कर सकेगी।

19. समिति की बैठकों.—(1) समिति तीन मास में कम से कम एक बार या एक से अधिक बार बैठकें करेगी यदि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन इसके कारबार के संव्यवहार के लिए आवश्यक समझा जाए।

(2) समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति पांच सदस्यों से होगी।

(3) समिति की बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा निर्वाचित कोई सदस्य करेगा।

(4) बैठक में समिति के समक्ष रखा जाने वाला कोई मामला बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा।

20. समिति के सदस्यों को यात्रा और दैनिक भत्ता.—समिति के नामनिर्देशित सदस्य ऐसा यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे, जैसा विहित किया जाए।

21. पुनर्विलोकन.—समिति, स्वप्रेरणा से, किसी भी समय या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर इसके द्वारा पारित किसी आदेश को नब्बे दिन के भीतर, ऐसे किसी आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी:

परन्तु समिति किसी व्यक्ति को प्रतिकूलतः प्रभावित करने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं करेगी जब तक ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

22. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.—(1) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी।

(2) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों को अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात से कारित हुए या संभाव्य कारित होने वाले किसी नुकसान के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही समिति या विधिज्ञ परिषद् के विरुद्ध न होगी।

23. सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन.—किसी भी सिविल न्यायालय को किसी प्रश्न को तय करने, विनिश्चित करने या निपटाने की या किसी विषय को अवधारित करने की अधिकारिता नहीं होगी जिसका इस अधिनियम के अधीन समिति द्वारा तय करना, विनिश्चित करना या निपटाया जाना या अपधारित किया जाना अपेक्षित है।

24. साक्षियों को समन करने और साक्ष्य लेने की शक्ति.—समिति को इस अधिनियम के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन निम्नलिखित मामलों की बाबत किसी वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं:—

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना या शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उनको प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ—पत्र पर साक्ष्य लेना; और

(घ) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना।

25. नियम बनाने की शक्ति.—(1) सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष, जब वह कुल चौदह दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक या दो आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के जिसमें यह इस प्रकार रखा गया है या ठीक बाद के सत्र के अवसान से पूर्व विधान सभा नियम में कोई उपान्तरण करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, नियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, किन्तु किसी ऐसे उपान्तरण या निष्प्रभाव होने से इस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

———————

अनुसूची

(धारा 2 (ण), 9 (2) (च), 16 (1) और (3) देखें)

		रुपए
निधि के सदस्य के रूप में एक वर्ष	—	2,000
निधि के सदस्य के रूप में दो वर्ष	—	4,000
निधि के सदस्य के रूप में तीन वर्ष	—	6,000
निधि के सदस्य के रूप में चार वर्ष	—	8,000
निधि के सदस्य के रूप में पाँच वर्ष	—	10,000
निधि के सदस्य के रूप में छह वर्ष	—	12,000
निधि के सदस्य के रूप में सात वर्ष	—	14,000
निधि के सदस्य के रूप में आठ वर्ष	—	16,000
निधि के सदस्य के रूप में नौ वर्ष	—	18,000
निधि के सदस्य के रूप में दस वर्ष	—	20,000
निधि के सदस्य के रूप में ग्यारह वर्ष	—	22,000
निधि के सदस्य के रूप में बारह वर्ष	—	24,000
निधि के सदस्य के रूप में तेरह वर्ष	—	26,000
निधि के सदस्य के रूप में चौदह वर्ष	—	28,000
निधि के सदस्य के रूप में पन्द्रह वर्ष	—	30,000
निधि के सदस्य के रूप में सोलह वर्ष	—	32,000
निधि के सदस्य के रूप में सतरह वर्ष	—	34,000
निधि के सदस्य के रूप में अठारह वर्ष	—	36,000

		रुपए
निधि के सदस्य के रूप में उन्नीस वर्ष	—	38,000
निधि के सदस्य के रूप में बीस वर्ष	—	40,000
निधि के सदस्य के रूप में इक्कीस वर्ष	—	42,000
निधि के सदस्य के रूप में बाईस वर्ष	—	44,000
निधि के सदस्य के रूप में तेइस वर्ष	—	46,000
निधि के सदस्य के रूप में चौबीस वर्ष	—	48,000
निधि के सदस्य के रूप में पच्चीस वर्ष	—	50,000
निधि के सदस्य के रूप में छब्बीस वर्ष	—	52,000
निधि के सदस्य के रूप में सत्ताईस वर्ष	—	54,000
निधि के सदस्य के रूप में अट्ठाईस वर्ष	—	56,000
निधि के सदस्य के रूप में उनतीस वर्ष	—	58,000
निधि के सदस्य के रूप में तीस वर्ष	—	60,000

————————————————